ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड़ बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177022 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहेः–

प्रधान :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सोमा देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री किशोर चन्द	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰ सं॰	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में (₹)
1	4(4)	रोकड़ बही एवं बैंक शेष में अन्तर पाया जाना	1.74
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	7.15
3	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.14

4	7.2	पंचायत का स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.34
5	7.3	रसीदों से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन	0.50
6	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियिमित भुगतान करना	13.90
7	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी.टी.डी.एस.की कटौती न करना	0.30
8	9.1	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.76
9	9.2	व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.22
10	9.3	खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के फलस्वरूप सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करना	0.99

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री पुनीत कुमार आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 15.05.2025 से 17.05.2025 तक ग्राम पंचायत ऊहल के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	08/2024	08/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):-* इस *अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर

किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4,800 (14वें व 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 56/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल, जिला हमीरपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या केएए 277546 दिनांक 20.05.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थितिः—

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (10) ऑनलाइन, रोकड़ बहियों अर्थात स्वः स्त्रोत, अनुदान(प्लानिंग), विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम(एस.डी.पी.), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, राज्य आपदा राहत कोष, मुख्यमन्त्री आवास योजना, 14वाँ वित्तायोग, 15 वाँ वित्तायोग, व मनरेगा का रख–रखाव किया गया था।

(1)(क) स्वः स्त्रोतः— ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–2025	710602.24	209990.00	920592.24	639124.00	281468.24

(ख) अनुदानः— ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024—25	580108.20	5199215.76	5779323.96	5064102.76	715221.20

(ग) 14वाँ वित्तायोगः— ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के 14 वाँ वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024—25	76212.00	0.00	76212.00	0.00	76212.00

(घ) 15वाँ वित्तायोगः— ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के 15वाँ वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024—2025	1968931.90	873528.00	2842459.90	1070261.60	1772198.30

(ङ) संकलित वित्तीय स्थितिः— ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

निधि का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
स्वः स्त्रोत	2024—2025	710602.24	209990.00	920592.24	639124.00	**281468.24**
14 वाँ वित्तायोग	2024—2025	76212.00	0.00	76212.00	0.00	**76212.00**
15 वाँ वित्तायोग	2024—2025	1968931.90	873528.00	2842459.90	1070261.60	**1772198.30**
अन्य अनुदान	2024—2025	580108.20	5199215.76	5779323.96	5064102.76	**715221.20**
संकलित वित्तीय स्थिति का कुल अन्तिम शेष (281468.24+76212.00+1772198.30.+715221.20)						**2845099.74**

(2) दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत ऊहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र॰ सं॰	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	अन्त शेष (₹)
1	खाता 'क' (स्वः स्त्रोत)	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50067199539	182392.00
2	खाता 'क' (स्वः स्त्रोत)	पंजाब नेशनल बैंक श्री टौणी देवी जी	3310001700001660	138989.85
3	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060412864	287244.00
4	विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम(एस.डी.पी.)	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060433522	74130.00
5	सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060433500	69526.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060433497	187472.00
7	राज्य आपदा राहत कोष	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060433544	78118.00
8	मुख्यमन्त्री आवास योजना	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50060433555	3532.00
9	14 वॉं वित्तायोग	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊहल	50066308880	25.00
10	15 वॉं वित्तायोग	हि.प्र. ग्रामीण बैंक सीमित ऊहल	99730100001747	1647158.30
कुल योग (1) से (10)				**2668587.15**

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार :–

1	स्वः स्त्रोतः– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**281468.24**
2	14 वें वित्तायोगः– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**76212.00**
3	15 वें वित्तायोगः– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**1772198.30**

4	अनुदान :– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	715221.20
5	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की रोकड़ बहियों का **कुल** अन्तिम शेष	2845099.74
6	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की स्वः स्त्रोत निधि में हस्तगत राशि (घटाव)	2597.00
7	दिनांक 31.03.25 को असमायोजित राशि (घटाव)	173915.59
8	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की रोकड़ बहियों का कुल अन्तिम शेष	2668587.15
9	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार विभिन्न बचत खातों का कुल अन्तिम शेष	2668587.15
	अन्तर	0

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.74 लाख के अन्तर का समाधान न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1)के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को **परिशिष्ट –1.3** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में **₹173915.59** राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 के प्रत्युत्तर मे उक्त अन्तर की राशि वारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹173915.59** के अन्तर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासानुसार अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति

अनुसार अन्तर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5 सावधिक निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्वःस्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत का अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव करके, स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके

6 अनुदानः–

6.1 अनुदान राशि ₹7.15 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट–1** पर सलंग्न है,के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹7,15,221.20**/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा पूर्व निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दी गई अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएगें।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई/ अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव पंचायती राज, विभाग, हि.प्र. शिमला–9 के पत्र संख्या पीसीएच–एच ए (5) सी 15313/89–4614–4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रकिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य, कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे/ एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की गई थी अथवा नहीं?

अतः उक्त आदेश, स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

6.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹0.03 लाख नकद हस्तगत रखनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा एक हजार रुपये से अनाधिक राशि ग्राम पंचायत द्वारा उपगत किए जाने वाले अत्यावश्यक व्यय हेतु अग्रदाय के रूप में रखी जाएगी।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोत निधि की जांच में पाया गया कि 31.03.2025 को निधि में हस्तगत राशि 2597/- शेष थी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य में निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि नही रखी जायेगी। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्वः–

7.1 पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर राशि ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट–2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹**14,200/–

वसूली हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंम्भीर नहीं है। अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत का स्वच्छता/सफाई शुल्क राशि ₹0.34 लाख वसूली हेतु शेषः—

मिशन निदेशक (एस बी एम जी) एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस. एम. जी. 19/2000—2/1 —आर डी. डी. —एस—जी दिनांक 24.01.2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता परिसम्पत्तियों के संचालन और रख—रखाव हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छता शुल्क का निर्धारण हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त स्वच्छता शुल्क प्राप्त करेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट—2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान स्वच्छता शुल्क की देय राशि **₹**34,080/— वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः स्वच्छता शुल्क की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 रसीदों से प्राप्त राशि ₹0.50 लाख का दुर्विनियोजनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6(3) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त राशियों को रोकड़ बही में दर्ज करने के उपरान्त बैंक मे जमा करवाना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान आय की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट**—**3** में दिये गयें विवरणानुसार **₹50116/—** की राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया था, परिणामस्वरूप राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि रसीदों के रूप में प्राप्त **₹50116/—** को रोकड़ बही में

दर्ज करके तथा राशि के बैंक में जमा करवाकर अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उक्त राशि का शीघ्र रोकड़ बही में लेखांकन करके इसे बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाये जाये।

8 व्ययः—

8.1 आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹13.90 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत दण्ड शुल्क के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के निर्देशानुसार व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार अब संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (कॉन्ट्रैक्टर्स/वेंडर्स) से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा केवल वैध ट्रांजिट फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त नहीं किये थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को संलग्न **परिशिष्ट—4** अनुसार **₹**13,89,519.27 का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से सूचित किया गया कि "नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त वर्णित **₹**13,89,519.27 राशि से सम्बन्धित फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हे भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म की अनुपस्थिति में अंकेक्षणावधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2 % जी.एस.टी. की कटौती न करने के कारण ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000/– से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2% (1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–5** अनुसार रशि ₹15,01,012/– (जी.एस.टी.के अलावा) भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹30,020.24/– की 2% जी.एस.टी.,टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ₹15,01,012/– की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार ₹30,020.24/– जी.एस.टी.,टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए,तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग के जिलाधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

9.1 उचित बिलों के बिना ₹0.76 लाख का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47 के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिये गये विवरणानुसार अनुसार **₹75,594** का व्यय आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाये तथा नियमानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 ₹1.22 लाख के व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–7** में दिये गये विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के बिलों के अन्तर्गत **₹1,22,276** राशि का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05. 2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं से सम्बन्धित अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्परूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते)

नियमावली 2002 के नियम 101(2) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के कारण राशि ₹0.99 लाख की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्व पंचायत का सचिव पंचायत निधि से उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्वान्तों का अनुपालन करेगें।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के चयनित माह 08/2024 में मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण में पाया गया कि रेत, बजरी, व ब्लॉक आदि निर्माण सामग्री की मूल्यांकन से अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के फलस्वरूप राशि **₹99493/—** की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–8** पर भी दिया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन के रूप में **₹99493/—** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के उचित एवं पारदर्शी लेखांकन के अभाव में उसके दुर्विनियोजन के फलस्वरूप किये गये अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाये।

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 के नियम 34 के प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र॰ सं॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा,लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	माँग और प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राक्कलन	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	––	101(2)(V)
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
3	अनुदान रजिस्टर		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों का तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गयें आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी वार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगया जा सका ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 15.05.2025 की अनुपालना में पत्र संख्या जीपीयू/4/2025 दिनांक 17.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि

04/2024 से 03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में इसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्षः–** लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

5076-5080 01 AUG 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)126/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	710602.24	209990.00	920592.24	639124.00	281468.24

14वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	76212.00	0.00	76212.00	0.00	76212.00

15वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1968931.90	873528.00	2842459.90	1070261.60	1772198.30

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	580108.20	5199215.76	5779323.96	5064102.76	715221.20

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	3335854.34	6282733.76	9618588.10	6773488.36	2845099.74

Diff	**176512.59**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	710602.24	209990.00	920592.24	639124.00	281468.24
2	अनुदान (प्लानिंग)	232019.00	504957.00	736976.00	442032.00	294944.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	5774.00	132.00	5906.00	0.00	5906.00
4	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	43397.80	354999.00	398396.80	210924.00	187472.80
5	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	228010.40	1234862.00	1462872.40	1308954.00	153918.40
6	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP LAD	67479.00	2047.00	69526.00	0.00	69526.00
7	मुख्य मंत्री आवास योजना MMAY	3428.00	26.00	3454.00	0.00	3454.00
8	14 वें वितायोग	76212.00	0.00	76212.00	0.00	76212.00
9	15 वें वितायोग	1968931.90	873528.00	2842459.90	1070261.60	1772198.30
10	मनरेगा	0.00	3102192.76	3102192.76	3102192.76	0.00
कुल योग		**3335854.34**	**6282733.76**	**9618588.10**	**6773488.36**	**2845099.74**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

17

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,				
दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक उहल	50067199539	182392.00
2	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक टोणी देवी	3310001700001660	138989.85
3	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक उहल	50060412864	287244.00
4	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक उहल	50060433522	74130.00
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY	के सी सी बैंक उहल	50060433497	187472.00
6	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	के सी सी बैंक उहल	50060433544	78118.00
7	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP LAD	के सी सी बैंक उहल	50060433500	69526.00
8	मुख्य मंत्री आवास योजना MMAY	के सी सी बैंक उहल	50060433555	3532.00
9	14 वें वितायोग	के सी सी बैंक उहल	50066308880	25.00
10	15 वें वितायोग	हि प्र ग्रा बैंक उहल	99730100001747	1647158.3
कुल योग				2668587.15

19

ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	7			9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹) (−)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹) (+)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्रोत	के सी सी बैंक उहल	50067199539	321381.85	281468.24	2597.00	278871.24	**-42510.61**
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक उहल	50060412864	287244.00	294944.00	0.00	294944.00	**7700.00**
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक उहल	50060433522	74130.00	5906.00	0.00	5906.00	**-68224.00**
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY	के सी सी बैंक उहल	50060433497	187472.00	187472.80	0.00	187472.80	**0.80**
5	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	के सी सी बैंक उहल	50060433544	78118.00	153918.40	0.00	153918.40	**75800.40**
6	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP LAD	के सी सी बैंक उहल	50060433500	69526.00	69526.00	0.00	69526.00	**0.00**
7	मुख्य मंत्री आवास योजना MMAY	के सी सी बैंक उहल	50060433555	3532.00	3454.00	0.00	3454.00	**-78.00**
8	14 वें वितायोग	के सी सी बैंक उहल	**50066308880**	25.00	76212.00	0.00	76212.00	**76187.00**
9	15 वें वितायोग	हि प्र ग्रा बैंक उहल	99730100001747	1647158.3	1772198.30	0.00	1772198.30	**125040.00**
कुल योग				**2668587.15**	**2845099.74**	**2597.00**	**2842502.74**	**173915.59**

20

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत उहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,			
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष			
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2845099.74	
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2668587.15	
अन्तर		**176512.59**	
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी			
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	281468.24	
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	715221.20	
3	14वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	76212.00	
4	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1772198.30	
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2845099.74	
6	दिनांक 31.03.2025 को स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही में हस्तगत राशि **(घटाव)**	**2597.00**	**176512.59**
7	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि **(घटाव)**	**173915.59**	
8	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	2668587.15	
9	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2668587.15	
अंतर		**0.00**	

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	12250	576	50	28800	41050	26850	**14200**

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **सफाई शुल्क** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	सफाई शुल्क वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	29400	576	120	69120	98520	64440	**34080**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही व बैंक में जमा न करना :-

क्रमांक	रसीद संख्या	मद	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज कुल राशि	अंतर
1	456901-457000	गृहकर व सफाई शुल्क	17000	दिनांक 24.05.24=17510 दिनांक 24.05.24=13370 दिनांक 27.05.24=14110 दिनांक 07.06.24=26010 दिनांक 15.11.24=14960 दिनांक 04.03.25=3300 दिनांक 19.03.25=1650	50116.00
2	457001-457100	गृहकर व सफाई शुल्क	17000		
3	457101 - 457200	गृहकर व सफाई शुल्क	17000		
4	456701-456800	गृहकर व सफाई शुल्क	16320		
5	45801-456900	गृहकर व सफाई शुल्क	16490		
6	457201-457229	गृहकर व सफाई शुल्क	4930		
7	457247-457255	गृहकर व सफाई शुल्क	4950		
8	457276	गृहकर व सफाई शुल्क	550		
9	457301-457354	गृहकर व सफाई शुल्क	9180		
10	458001-458094	गृहकर व सफाई शुल्क	15980		
11	458101-458173	गृहकर व सफाई शुल्क	12410		
12	45820-458240	गृहकर व सफाई शुल्क	7820		
13	455593-455596	दान	40		
14	457275	वसूली	1356		
कुल योग			.141026	90910	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

(1)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	निधि	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1	Mnrega	C/o Panchvati Park Near Shiv Mandir Vill Uhal	189	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10, 5,	22857.14
2	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Pawana Devi w/o Baldev Singh Vill Nanot	186	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 5,	13944.76
3	Mnerga	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Veena Devi W/o Amin Chand Parnali	166	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 6,	13968.57
4	Mnrega	C/o pacca angan danga In the Land of Jagat Ram Vill Parnali	164	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 4,	13984.76
5	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Tilak Raj S/o Sh Jagat Ram Vill Parnali	139	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 5,	14000.00
6	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Rattan Chand S/o Sunder Ram Vil Parnali	168	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 6,	13971.42
7	Mnrega	C/o Pacca angan Danga In the Land Of Kavi Raj S/o Parkash Chand Vill Parnali	197	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 5,	13967.61
8	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Near The H/o Balwant Singh S/o Hari Singh Vill Parnali	169	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 4,	13980.95
9	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Prakash Chand S/o Shankar Ram Vill Nanot Jambali	182	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,6,	13944.76
10	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga near the H/o Bachitar Singh S/o Raj Kumar Vill Bambloh	192	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3,	13984.76
12	Mnrega	C/o Pacca Angan Dangan in the Land Rajeev Kumar S/o Bakshi Ram Vill Parnali	175	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 4,	12285.00
13	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga in The Land Of Shiatri Devi W/o Trilok Chand Vill Uhal	143	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,4,	13964.76
14	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Pankaj Kumar S/o Suresh Kumar Vill Parnali	140	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	13968.57
15	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Rajo Devi W/o Suresh Kumar Vill Parnali	144	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6, 5	13960.95
16	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Duni Chand S/o Laskari Ram Vill Nanot	183	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 4	13944.76
17	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga in The Land Of Suresh Kumar S/o Ram Singh Vill Nanot	197	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 4	13884.76
18	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga in The Land Of Vinod Kumar S/o Prithi Chand Vill Bhambloh	165	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	13977.14
19	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Rajesh Kumar S/o Birbal Dass Vill Nanot	184	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5, 5	13944.76
20	Mnrega	C/o pacca Angan Danga Meena Devi W/o Pradeep Kumar Vill Nanot	185	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,5	13944.76
21	Mnrega	C/o Pacca Angan danga Anita Devi W/o Raghubir Singh Vill Nanot	171	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	13944.76

22	Mnrega	C/o Path From Road To Shamshanghat Vill Parnali	145	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	18857.14
			167	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,5	18857.14
			170	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	15428.34
23	Mnrega	C/O PATH WITH PAVER FROM MAIN ROAD TO CHIYAR PIPPAL VILL PARNALI	90	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18856.87
			93	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18856.87
			141	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	8,3	11428.57
24	Mnrega	C/O PATH WITH PAVER FROM AACHHRU RAM HOUSE TO NATH RAM HOUSE VILL NANOT	142	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18857.14
					Aggrigate, sand	6,6	18857.14
					Aggrigate, sand	6,5	15428.34
			146	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	13	18571.42
			149	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18856.87
26	Mnrega	C/O PATH WITH PAVER FROM AACHHRU RAM HOUSE TO NATH RAM HOUSE VILL NANOT	148	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18856.87
27	Mnrega	C/O PATH WITH PAVER FROM AACHHRU RAM HOUSE TO NATH RAM HOUSE VILL NANOT	147	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	17657.14
			129	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	17657.14
			207	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	15428.57
			208	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	17657.14
28	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Suresh Kumar S/o Bidhi Chand Vill Bhambloh	209	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	17657.14
29	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Pawana Devi w/o Baldev Singh Vill Nanot	210	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,5	17657.40
30	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga In The Land Of Rumla Dev i W/o Parmod Singh Vill Uhal	127	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18857.14
31	Mnrega	C/o Pacca Angan Danga Kashmir Singh S/o Prabhdyal Vill Nanot	211	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18857.14
32	Mnrega	C/O Path with Paver From Road To Pradeep Kumar House Vill Parnali	112	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	12	17142.85
			116	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	3	4285.71
			117	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,4	13714.28
			70	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,3	10285.71
33	Mnrega	C/o Sampark Marg From Main Road to Jaisi Ram House Vill Bambloh	101	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6	8571.40
			102	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	8	11428.53
			107	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,2	10285.71
			110	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	17142.85
34	Mnrega	C/o Path with Paver From Suresh Kumar House To Joginder Singh House Vill Nanot	118	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,2	10285.71
			119	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,2	8571.42
			106	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
			108	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
35	Mnrega	Repair of Amrit Sarovar Talab Near Panchavati Park Uhal GP Uhal Block Bamson	109	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,8	17142.85
			111	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,2	14284.76
			123	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	8,2	11428.38
			124	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
					Aggrigate, sand	10,2	14285.71
36	Mnrega	R/o Path With R/wall Near Cowshed Lata Devi Vill Nanot Jamli	125	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,3	18857.14
37	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Pardeep Kumar S/o Roshan Lal Nanot	134	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,6	18857.14
38	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Lacho Ram Vill Parnali	137	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	12, 5	27428.57
39	NDRF	R/o Path With R/wall Near Cowshed Lata Devi Vill Nanot Jamli	136	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	6,3	8571.42
40	NDRF	R/o Path with R/wall Near H/o mPrakash Chand Vill Nanot Jamli	138	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10.8	22857.14
					Aggrigate, sand	5,8	18857.14
41	NDRF	R/o Protection Wall Near H/o Pratap Singh IN Vill Bambloh	154	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	4,6	14144.76

42	NDRF	R/o Path With R/wall Near Samshanghat In Vill Nanot	150	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	8,5	18285.71
43	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Chaman Lal Vill Nanot Jamli	222	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,4	27619.04
44	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/om Prithi Chand Vill Bambloh	216	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,4	27619.04
45	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Mehar Singh Vill Uhal	156	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,4	27619.04
46	NDRF	R/o Path Amvulance Road With R/wall SC Basti Uhal To Lag Devi	155	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,4	17142.85
47	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Leela Devi Vill Nanot	160	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,5	19047.61
48	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Rajinder Kumar Vill Uhal	159	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,5	19047.61
49	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Naresh Kumar Vill Nanot	161	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	55,3	8571.42
					Aggrigate, sand	5,3	7142.85
50	NDRF	R/o Path With R/wall Near Panchvati Nanot	239	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	2,4	2857.14
					Aggrigate, sand	3,2	6285.71
51	NDRF	R/o Path With R/wall Near Samsanghat Vill Nanot	229	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
52	NDRF	R/o Path With R/wall Jung Ghar To Hem Raj House Vill Bambloh	121	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
53	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Naresh Kumar Vill Nanot	223	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
54	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Nirjla Devi Vill Nanot	200	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,3	8571.42
55	NDRF	R/o Path With R/wall Near H/o Asha Devi Vill Parnali	163	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	20,5	34285.71
			227	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,6	20952.38
56	NDRF	R/o Path With R/wall Near Cowshed Lata Devi Vill Nanot Jamli	228	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,7	16952.38
57	VKVNY	R/o Paruni sadak In Vil Bambloh	277	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,8	19047.61
58	VKVNY	R/o Path With R/wall Rattan Parnali			Aggrigate, sand	5,2	8571.42
59	SDP	R/o Path With R/wall Surjeet Vill Parnali	271	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,8	27619.04
60	SDP	C/o Path With R/wall Near H/o Krishni Devi Vill Nanot	217	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,8	27619.04
61	SDP	C/o Path with r/wall Near H/o Krishni Devi Vill Nanot	220	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	10,8	27619.04
62	SDP	R/o Path With R/wall Near H/o Roop LaL Vill Bambloh	280	Shivani Thakur	Aggrigate, sand	5,10	27619.04
			Total				**1389519.27**

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Shivani Thakur, Vpo Barin, Touni devi hamirpur	Aggregate ,Sand	1209897.00	24197.94
2		kehar singh welding works vpo chauri, sujanpur, hamirpur	Iron pipe, welding	291115.00	5822.30
कुल योग				1501012.20	30020.24

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

27

26

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

बिना बिल के किया गया भुगतान

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	संस्था का नाम	राशि (₹)
1	15वें वित्तायोग	22.08.2024	ग्राम पंचायत उहल के वार्डों में सोलर लाइट की स्थापना	प्रोजेक्ट अधिकारी हिम ऊर्जा हमीरपुर	75594
कुल योग					**75594**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन टौणी देवी
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	SDRF	रास्ता निर्माण प्रताप चंद के घर के पास गाँव बमलोह	19250
2	SDRF	निर्माण रोड एस सी बस्ती से लग तक	12613
3	SDRF	निर्माण रास्ता नजदीक शमशान घाट गाँव ननोट	19800
4	SDRF	मुरमत दीवार नजदीक मेहर चंद के घर के पास गाँव उहल	41613
5	SDRF	मुरमत दीवार एस सी बस्ती से लग देवी	29000
		योग	**122276**

सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत उहल, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

1. निर्माण कार्य का नाम :- रास्ता निर्माण अछरू राम के घर से नाथ राम के घर तक गाँव ननोट

निधि का नाम -मनरेगा

स्वीकृत राशि -300000 /-

कुल खर्च राशि - 225000 /-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	बजरी	रेत
MB-13946,10974 38,42,46,47,48,62,50	1:3:6 1:5:10	24.25	0.89 और .47	21.58	11.39
Total				**21.58**	**11.39**
बिल संख्या-142,146,149,199 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				31	18
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				9.42	6.61
क्रय दर				1500	1800
अधिक भुगतान				14130	11898
अधिक भुगतान राशि				**14130**	**11898**
कुल योग				**26028**	

2. निर्माण कार्य का नाम :-रास्ता निर्माण शमशान घाट गाँव परनाली

निधि का नाम - मनरेगा

स्वीकृत राशि -297000/-

कुल खर्च राशि -244913/-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	बजरी	रेत
MB-10974 35,40,43,68,69,73,80	1:3:6	34.35	0.89 और .47	30.57	16
Total				**30.57**	**16**
बिल संख्या-145,167,170,198,270 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				42	18
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				11.43	2
क्रय दर				1500	1800
अधिक भुगतान				17145	3600
अधिक भुगतान राशि				**17145**	**3600**
कुल योग				**20745**	

3. निर्माण कार्य का नाम :-पंचवटी पार्क नजदीक शिव मंदिर उहल।				
स्वीकृत राशि - 499000/-				
कुल खर्च राशि -1,53382/- (1,43,382)				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	खपत मात्रा	रूपांतरण कारक	पेवर ब्लॉक
MB-3404,3406 25,26,64,65	पेवर ब्लॉक 40 एमएम	20.15	33	665
Total				**665**
बिल संख्या 901,902 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				3960
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				3295
क्रय दर				16
अधिक भुगतान				52720
कुल अधिक भुगतान राशि				**52720**
कुल भुगतान क्रमाक 1 से 3 तक				**99493**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उहल
विकास खण्ड बल्सन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)